<u>दिल्ली विकास प्राधिकरण</u>

<u>[वित्त तथा व्यय]</u>

<u>एफ एवं ई परिपत्र संख्या 17/ 2013</u>

एफआर-22(1)(क)(1) में पदोन्नति अथवा नियुक्ति पर वेतन निर्धारण के लिए सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक माह के भीतर विकल्प का प्रयोग करने का प्रावधान है। सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 में यह भी प्रावधान है कि एसीपी स्कीम के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन अथवा नियमित पदोन्नति के कारण 01.01.2006 से 31.08.2008 के बीच पूर्व-संशोधित उच्चतर वेतन-मान में जिन सरकारी कर्मचारियों को रखा गया है, वह ऐसी पदोन्नति/ उन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण के लिए तीन माह के भीतर विकल्प प्रयोग करेगा।

तथापि, कुछ सुरक्षा गार्ड, मेट्स, बेलदार तथा पूर्ववर्ती समूह-घ की कुछ श्रेणियों एसीपी स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण का लाभ किसी न किसी कारण से विकल्प प्रयोग नहीं करने के कारण नहीं उठा पाए थे और उन्होंने सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 के 1एफआर-22(1)(ए)(1) नियम-5 एवं 6 के संदर्भानुसार वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन दिया है।

इस मामले के तथ्य तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए माननीय उपाध्यक्ष/ अध्यक्ष, डीडीए उन सुरक्षा गार्डों, मेट्स और समूह-घ के पूर्ववती कर्मचारियों तथा ऐसी ही अन्य श्रेणियों को सीसीएस (आरपी) नियम, 2008 के नियम 16 के अंतर्गत वेतन निर्धारण के लिए नवीन तरीके से विकल्प प्रयोग करने का लाभ उठाने देने की अनुमति प्रदान करते हैं ताकि उन्हें एसीपी स्कीम के अंतर्गत छठें सीपीसी/ पदोन्नति/ वित्तीय उन्नयन की सिफारिश के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ मिल सकें।

ऐसे मामलों में विकल्प का प्रयोग इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर किया जा सकता है।

[मनीष कुमार]

मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफई.98(02)/ 2008-09/एससीपीसी/ डीडीए/ भाग/ 510 दिनांकः 23.8.13

प्रतिलिपिः-

1. विशेष कार्याधिकारी, माननीय उप राज्यपाल/ अध्यक्ष, डीडीए;
2. पत्र की सूचना के लिए निजी सचिव, एफएम/ ईएम/ उपाध्यक्ष;
3. सभी प्रमुख आयुक्त/ सी.वी.ओ./ सी.एल.ए., डीडीए;
4. सभी आयुक्त/ आयुक्त-सह-सचिव;
5. सभी मुख्य अभियंता/ मुख्य वास्तुकार, डीडीए;
6. निदेशक (उद्यान)/ मुख्य सुरक्षा अधिकारी;
7. उप सी.ए.ओ. (मुख्यालय)-I, II तथा III/ सभी क्षेत्रीय उप सीएओ;
8. वरिष्ठ एओ (प्रति.)- एनजी/ आकस्मिकता/ आवास/ एओ (पीई)/ पीएओ (ईडब्ल्यू)
9. सभी डीडीओ/ ईई/ एसईडी-11;
6. गार्ड फाइल।

23/8/13

लेखा अधिकारी [एफ एंड ई]
दिल्ली विकास प्राधिकरण